न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 69/2008 G.C.M.S. No. 2008/00038 दर्ज दिनांक : 03.10.2008

अपीलार्थिगण:

1. राधा पुत्री भोमा पत्नि देवाराम जाति कुम्हार निवासी अटपड़ा तहसील सोजत जिला पाली।
2. भंवरी पुत्री भोमा पत्नि चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. रामू पुत्री भोमा पत्नि शंकरलाल निवासी तिरोलिया आसन वाया सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हजारी पुत्र भोमाराम जाति कुम्हार निवासी कानूजा पोस्ट कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
2. गोमसिंह पुत्र गोदसिंह जाति रावत निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. गंगा पत्नि गोमसिंह रावत निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
4. रामसिंह पुत्र उदयसिंह जरिये कायम मुकाम–
   4/1 केली बेवा रामसिंह
   4/2 पूनमसिंह पुत्र रामसिंह
   4/3 मदनसिंह पुत्र रामसिंह
   4/4 विजयसिंह पुत्र रामसिंह
   4/5 भंवरी पुत्री रामसिंह उपरोक्त सभी जाति जालियान रावत निवासीगण कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला ब्यावर।
6. जमना पत्नि हजारी जाति कुम्हार निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या (पुराना 70/2008 एवं नवीन 101/2008) बअनवान राधा वगैरह बनाम हजारी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2008 पैरोकार–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3, 4/1, 4/3 व 4/5 की ओर से।
3. श्री शेषाराम, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 6 की ओर से।
4. श्री जीवाराम बंजारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या (पुराना 70/2008 एवं नवीन 101/2008) बअनवान राधा वगैरह बनाम हजारी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट्स/वादीगण ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा०का० अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कानूजा तहसील रायपुर जिला पाली में स्थित कुल किता 10 के खसरा नं0 1756, 1792, 1793, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1490, 1804 का कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा के मूल खातेदार भोमाराम वल्द नाथा कुम्हार वादीगण अपीलांट्स के पिता रहे हैं जो कि राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 से स्पष्ट है तथा अपीलांटस/वादीगण एवम रस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं० एक के पिता भोमाराम की मृत्यु दिनांक 7.6.1990 को होने के बाद उक्त वर्णित आराजी का फोती विरासत दाखिल खारिज विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार मृतक भोमाराम के उत्तराधिकारीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांटस व रेस्पोडेंट सं० एक के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जाना चाहिये था। लेकिन मिलीभगत से रेस्पोडेंट सं० एक हजारी ने मृतक भोमाराम की समस्त कृषि भूमि को अपने नाम अकेला वारिस बताकर दर्ज करवा लिया और रेस्पोडेंट सं० दो व चार के पक्ष में विक्रय कर दिया, जबकि रेस्पोडेट सं० एक हजारी प्रतिवादी को अपने 1/4 हिस्से से अधिक आराजी उपरोक्त वर्णित का बेचान करने का कोई हक हकूक अधिकार प्राप्त नहीं था, ना ही वैधानिक रूप से अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने को सक्षम था, जिससे रेस्पोडेंट्स सं० एक के द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान पत्र शून्य निष्प्रभावी एब इनिश्यो वॉइड होने से क्रेतागण को कोई हक हकूक अधिकार विधिक रूप से कतई प्राप्त नहीं हुए, जिससे अपीलांट्स ने अपनी पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि में अपने हिस्से की आराजी के खातेदारी काश्तकारी हक हकूक अधिकार हिस्से की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवम् विधिक रूप से विभाजन किये जाने के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया और प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावे प्रस्तुत हुए जिसके अनुसार वाद बिन्दु कायम किये जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य ली गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 21 तथा प्रदर्श एन०ए० 1ए तथा एन०ए० 2 उभयपक्षों ने

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किये। जो पत्रावली में शामिल किये गये तथा पक्षकारान की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की तथा तनकी नं० 1 आयाकि वाद पत्र की मद सं० एक में वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी होने से हिस्से अनुसार विभाजन व घोषणा हक खातेदारी हिस्से के अधिकारी हैं, को वादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी अपीलांट वादीगण की पुश्तैनी आराजी होना स्वीकार कर घोषणा व विभाजन के अधिकारी होना माना। लेकिन तनकी नं0 2 को अपीलांट्स वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नं० 1 का निर्णय अपीलांट्स के पक्ष में पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स वादीगण का हक हिस्सा होना स्वीकार करते हुए घोषणा व विभाजन पाने का अधिकारी माना। इसके उपरांत भी तनकी नं0 2 आयाकि वादग्रस्त पुश्तैनी संयुक्त हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी का बेचान अकेले रेस्पोंडेंट सं० एक प्रतिवादी हजारी विधिक रूप से सक्षम नहीं होने से रेस्पोडेंट सं० दो व चार के पक्ष में निष्पादित बेचान नामा बेअसर प्रभावहीन शून्य वादीगण के हक हिस्से तक होने से रेस्पोंडेंटस् प्रतिवादीगण को अपीलांट्स वादीगण के हक हिस्से तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा तनकी नं० 1 का निर्णय अपीलांट्स वादीगण के पक्ष में करने के उपरांत भी त्रुटिपूर्ण रूप से विक्रय पत्र को बेअसर प्रभावहीन करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना हो कर सिविल न्यायालय को है। इस लाईन को आधार बनाकर त्रुटिपूर्ण रूप से तनकी विरूद्ध अपीलांट्स वादीगण निर्णित कर दी जब कि तनकी जो बनी थी उसमें बेचाननामा विक्रय पत्रों को शून्य घोषित कराने का अनुतोष नहीं मांगा, बल्कि शून्य होने से प्रभावहीन होने से कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं होने का वाद बिन्दु बना जिसकी नौयत को समझे बिना ही त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन निर्णय से तनकी नं0 2 का गलत निर्णय पारित कर दिया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत हैं। प्रकरण में वाद बिन्दु सं० 3 को भी गलत रूप से प्रदर्श 14 से 17 विक्रय पत्र बेचाननामों को निरस्त नहीं कराने तक वादग्रस्त आराजी में प्रवेश करने से नहीं रोके जाने का कथन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में गलत रूप से अंकित कर दिया। जबकि स्वयं ने यह स्वीकार किया हैं कि वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांटस वादीगण का हक हिस्सा बनता है। इसके उपरांत भी समस्त भूमि में अपीलांटस के हक, हिस्से पर कब्जेकाश्त में दखल करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं कर शेष बची भूमि में अपीलांटस के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अपीलाधीन आदेश द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

पारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में पान्यवाद बिन्दु कायम किये। जिसमें से वाद बिन्दु सं० 1 व वाद बिन्दु सं० 4 पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित करने के उपरांत भी बिना किसी विधिक आधार के वाद बिन्दु सं० 2 व 3 की विधिक नौयत को समझे बिना ही तथा इनके पक्ष में प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन करने के उपरांत भी ना मानने का कोई भी कारण अपीलाधीन निर्णय डिक्री में बताये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय की स्वयं की स्वीकारोक्तियों के उपरांत भी विधि के बाध्यकारी प्रावधानों व न्याय नियमों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित कर विधिक भूल की हैं। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय डिक्री की अन्तिम पृष्ठ पर वादग्रस्त आराजी का अपीलांटस वादीगण को संम्पूर्ण रकबे में से रेस्पोडेंट सं० एक हजारी के हिस्से की शेष रही भूमि में से बहिस्सा बराबर बराबर 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए शेष बेचान की गई आराजी के खाते बदस्तूर रहने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्धांत व बाध्यकारी प्रावधान है कि पुश्तैनी पैतृक संयुक्त हक, हिस्से की आराजी के प्रत्येक इंच भूमि पर सभी हिस्सेदारान का हक हकूक अधिकार हिस्सा कब्जा होता हैं और हिस्सेदार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी कृषि भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार विभाजन का अधिकारी होता है जिससे प्रतिवादी रेस्पोडेंट सं० एक हजारी द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान जो कर दिया उसमें भी वादीगण अपीलांटस अपने हक हिस्से तक अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी वादग्रस्त आराजी में विभाजन के अधिकारी होने के उपरांत भी विधि विपरित त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 हजारी द्वारा प्रकरण में क्रॉस–ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हक, हिस्सा निहित होना स्वीकार करते हुए घोषणा व विभाजन का अधिकारी माना। इसके उपरांत भी तनकी संख्या 2 त्रुटिपूर्ण रूप से विक्रय पत्र बेअसर, प्रभावहीन मानकर विधिवत निर्णय पारित करने के विपरीत त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या 1 व 4 पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित करने के उपरांत भी बिना किसी विधिक अधिकार के शेष वाद बिंदु विधि के बाध्यकारी प्रावधानों व न्याय–नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन विधिक भूल की हैं। अतः क्रॉस अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त

Scanned with OKEN Scanner

कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण व क्रॉस अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उनके हिस्से अनुसार समस्त वादग्रस्त आराजी में विभाजन की प्राथमिक डिक्री के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2008 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के हिस्से में से शेष रही भूमि में से तीनों वादीगण को एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 29.08.2008 को प्रस्तुत की गई हैं।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपने पिता भोमा वल्द नाथा की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात होने तथा भोमा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के पक्ष में विरासतन नामांतरण दर्ज कर देने तथा वादीगण अपीलांट्स खातेदार भोमा की पुत्रियां होने से भोमा की आराजीयात में विरासतन हक निहित होने से प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा बाबत अनुतोष चाहते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से बेचान कर देने से प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 को पक्षकार संयोजित किया गया। प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम किए गए तथा साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः प्रक्रियात्मक रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नहीं हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए –
   1. आया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी होने से वादीगण हिस्सेनुसार विभाजन करवाने तथा घोषणा, खातेदारी हक हिस्से के अधिकारी है ?
   2. आया कि वादीगण की पुश्तैनी संयुक्त हक, हिस्से की वादग्रस्त आराजी का बेचान त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड़ से अकेले हजारी प्रतिवादी संख्या 1 करने में विधिक रूप से सक्षम नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा

Scanned with OKEN Scanner

बेअसर, प्रभावहीन, शून्य वादीगण के हक, हिस्से तक होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हक, हिस्से तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ?

3. आया कि वादीगण के हिस्से में विवादित वादग्रस्त खातेदारी की आराजी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से कोई दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए ?
4. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी 2 से 4 ने वादग्रस्त आराजी खरीद की हैं और काबिज काश्त है। जिसे वाद का कारण उत्पन्न नहीं होने से वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है ?

4. विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 व 4 वादीगण अपीलांट्स के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 2 व 3 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। जिसे अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील द्वारा प्रश्नगत किया गया है।
5. विवाद्यक संख्या 2 के विवेचन व निर्णयन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस विवेचन के साथ कि "नामांतरण संख्या 3 प्रदर्श 18 के अवलोकन से विवादित आराजी नाथा वल्द खुमा की होना बखूबी साबित है। नाथा के फौत होने पर उक्त फौतेदगी नामांतरकरण भोमा के नाम दर्ज किया गया तथा जमाबंदी प्रदर्श 5 संवत 2041 से 2044 के अनुसार नामांतरण संख्या 681 द्वारा भोमा के फौत होने पर अकेले हजारीराम के नाम दर्ज किया गया। जबकि भोमाराम की तीन पुत्रियां वादीगण जीवित है। जिनका नाम भी फौतेदगी नामांतरण में कानूनन दर्ज किया जाना चाहिए। परंतु प्रतिवादी संख्या 1 हजारी ने राजस्व रेकर्ड में अकेले के नाम विवादित आराजी दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम कुछ भूमि का विक्रय कर दिया। उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा को बेअसर, प्रभावहीन, शून्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है।" के साथ यह विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात नाथा वल्द खुमा की थीं। जो नाथा के फौत होने पर भोमा वल्द नाथा के नाम दर्ज हुई तथा भोमा के फौत होने पर भोमा के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हजारी के नाम दर्ज हुई। भोमा की पत्नि फौत हो चुकी हैं तथा भोमा के चार संतान तीन पुत्रियां, वादीगण व एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 होना निर्विवाद है। अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कर धारा 8 में विहित विधिक प्रावधान अनुसार खातेदार भोमा के फौत होने पर भोमा की वादग्रस्त आराजीयात में उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान अर्थात पुत्र एवं पुत्रियों को बतौर उत्तराधिकार एकसमान हक प्राप्त था, जबकि विरासतन नामांतरण स्वीकृत करते

Scanned with OKEN Scanner

समय विधिविरूद्ध रूप से केवल पुत्र संतान प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज किया गया है तथा तीनों पुत्रियों अपीलांट्स वादीगण का नाम छोड़ दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात में मृतक खातेदार भोमा की प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से वादीगण पुत्रियां एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र प्रत्येक का एकसमान हक अर्थात 1/4–1/4 हिस्सा निहित हो चुका था तथा किसी भी विधिविरूद्ध नामांतरण जैसी प्रविष्टियों से न तो खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं व न ही प्रदान किये जा सकते हैं तथा न ही किसी विधिविरूद्ध प्रविष्टि के आधार पर किसी प्रकार के अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हक, हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को किए गए बेचान को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष अपने वादपत्र में नहीं चाहा है। बल्कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक, हिस्से से अधिक किये गए बेचान वादीगण के हक, हिस्से के विरूद्ध प्रभावहीन व आरंभतः शून्य होने का दावा करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में विरासतन निहित प्रत्येक के 1/4–1/4 खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानिया सिविल अपील संख्या 1269–1270/2019 स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या 21402–21403/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है–

"The claim of the appellant to khatedari right is pending adjudication by a revenue court which has the exclusive jurisdiction to adjudicate upon such a claim. the appellant has no right to seek relief before the civil court without first getting his khatedari rights decread by the revenue court"

इस प्रकार हमारे विनम्र मत में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित होने, विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 वादीगण अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित करने, प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजीयात में कानूनन निहित अपने 1/4 हिस्से से अधिक की आराजी का बेचान करने का अधिकार नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/4 हिस्से से अधिक किया गया बेचान वादीगण की हक हिस्से की सीमा तक आरंभतः शून्य व प्रभावहीन होता है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

6. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध भी उज्र लिया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा पंजीबद्ध बेचाननामा से क्रय भूमि के संबंध में जब तक पंजीकृत बेचाननामा को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब तक प्रतिवादीगण को क्रयशुदा विवादित आराजी से बेदखल या काश्त आदि से कानूनन नहीं रोका जा सकता। परंतु प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में शेष रही भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण का भी हिस्सा बनता है। विवेचन के साथ यह विवाद्यक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया है।

हमारे विनम्र मत में चूंकि यह विवाद्यक स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष से संबंधित है तथा विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। साथ ही अपीलांट्स वादीगण द्वारा पंजीकृत बेचाननामा को प्रश्नगत नहीं कर वादग्रस्त आराजीयात में विरासतन निहित प्रत्येक के 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। जो विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय अनुसार अपीलांट्स वादीगण के पक्ष में निर्णित हुआ है। अतः प्रत्येक खातेदार अपने हक, हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। लिहाजा, यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए इसे अपीलांट्स वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा क्रॉस अपील प्रस्तुत कर वस्तुतः अपील का समर्थन करते हुए विवाद्यक संख्या 2 व 3 अपीलांट के पक्ष में निर्णित कर वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस संबंध में हमारा विनम्र अभिमत है कि विवाद्यक संख्या 2 व 3 के विवेचन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा विरासतन निहित था। अतः रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख से अपने निहित 1/4 हक, हिस्से तक किये गये समस्त अंतरण विधिसम्मत है तथा उसके संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपने संपूर्ण 1/4 हक, हिस्से तक या इससे अधिक बेचान किये जाने की दशा में विक्रेता रेस्पोंडेंट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक, हिस्सा शेष नहीं रहता।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित हुई है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील बखूबी साबित नहीं

Scanned with OKEN Scanner

हुई हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार करते हुए तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के विवाद्यक संख्या 2 व 3 की सीमा तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त एवं संशोधित करते हुए संशोधित प्राथमिक डिक्री पारित कर प्रकरण में विभाजन के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या (पुराना 70/2008 एवं नवीन 101/2008) बअनवान राधा वगैरह बनाम हजारी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2008 को विवाद्यक संख्या 2 व 3 की सीमा तक अपास्त एवं संशोधित करते हुए वाद वादीगण अपीलांट्स बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कानूजा तहसील रायपुर जिला पाली में स्थित कुल किता 10 के खसरा नं0 1756, 1792, 1793, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1490, 1804 का कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा के भू–अभिलेख में से प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर अपीलांट वादीगण प्रत्येक को क्रमशः 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। शेष 1/4 हिस्से में दीगर प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 व 6 का नाम हिस्सेनुसार दर्ज किया जावें। रेस्पोंडेंट्स प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक, हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। रहन आदि का अंकन यदि हों, बदस्तूर जारी रहेगा। इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमलदरामद किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक अद्यतन भू–अभिलेख हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से उपर्युक्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। वादपत्र इसी अनुरूप स्वीकार

Scanned with OKEN Scanner

किया जाकर संशोधित रूप से निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री पृथक से जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 08.08.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 69/2008 G.C.M.S. No. 2008/00038 दर्ज दिनांक : 03.10.2008

अपीलार्थिगण:

1. राधा पुत्री भोमा पत्नि देवाराम जाति कुम्हार निवासी अटपड़ा तहसील सोजत जिला पाली।
2. भंवरी पुत्री भोमा पत्नि चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. रामू पुत्री भोमा पत्नि शंकरलाल निवासी तिरोलिया आसन वाया सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हजारी पुत्र भोमाराम जाति कुम्हार निवासी कानूजा पोस्ट कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
2. गोमसिंह पुत्र गोदसिंह जाति रावत निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
3. गंगा पत्नि गोमसिंह रावत निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
4. रामसिंह पुत्र उदयसिंह जरिये कायम मुकाम–
   4/1 केली बेवा रामसिंह
   4/2 पूनमसिंह पुत्र रामसिंह
   4/3 मदनसिंह पुत्र रामसिंह
   4/4 विजयसिंह पुत्र रामसिंह
   4/5 भंवरी पुत्री रामसिंह उपरोक्त सभी जाति जालियान रावत निवासीगण कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला ब्यावर।
6. जमना पत्नि हजारी जाति कुम्हार निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या (पुराना 70/2008 एवं नवीन 101/2008) बअनवान राधा वगैरह बनाम हजारी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2008

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री श्याम पंचारिया विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री अशोक अरोड़ा, श्री जीवाराम, श्री शेषाराम विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार

Scanned with OKEN Scanner

की जाकर तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस अपील सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या (पुराना 70/2008 एवं नवीन 101/2008) बअनवान राधा वगैरह बनाम हजारी वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2008 को विवाद्यक संख्या 2 व 3 की सीमा तक अपास्त एवं संशोधित करते हुए वाद वादीगण अपीलांट्स बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कानूजा तहसील रायपुर जिला पाली में स्थित कुल किता 10 के खसरा नं0 1756, 1792, 1793, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1490, 1804 का कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा के भू–अभिलेख में से प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर अपीलांट वादीगण प्रत्येक को क्रमशः 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। शेष 1/4 हिस्से में दीगर प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 व 6 का नाम हिस्सेनुसार दर्ज किया जावें। रेस्पोंडेंट्स प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक, हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। रहन आदि का अंकन यदि हों, बदस्तूर जारी रहेगा। इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमलदरामद किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक अद्यतन भू–अभिलेख हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से उपर्युक्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। वादपत्र इसी अनुरूप स्वीकार किया जाकर संशोधित रूप से निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया जाता है। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
हुक्मनामा	शून्य	शून्य			
मतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner